संख्या- 2446 /9-1-2015-622सा/2014

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इलाहाबाद।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 12 अगस्त, 2015

विषयः वेतन समिति 2008 के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा लिपिकीय संवर्ग के संबंध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रम में माघ मेला, इलाहाबाद के लिपिक संवर्ग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2010 द्वारा दी गयी संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-401/दस-54(एम)/2008टी.सी. दिनांक-18 मार्च, 2011 द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में माघ मेला, इलाहाबाद के लिपिकीय संवर्ग के वर्तमान ढांचे की व्यवस्था को दिनांक 18 मार्च, 2011 से निम्नानुसार पुनर्गठित/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

वर्तमान ढांचा				पुनर्गठित ढांचा (दिनांक 18 मार्च, 2011 से)				
क्र0 सं0	पदनाम	पदों की सं0	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदनाम	पदों की सं0	पुनरीक्षित वेतन संरचना में		भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता/प्रक्रिया
						वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	
1	लिपिक/नैत्यिक लिपिक	03	5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1900	कनिष्ठ सहायक	03	5200-20200	2000	उ0प्र0 सरकारी विभाग लिपिकीय सवर्ग सेवा नियमावली-2014 के अनुसार
	योग	03			03			

2- उच्चीकृत वेतनमान में वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे.आ.-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त शासनादेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-927/x-2015, दिनांक 22 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- 2446 (1)/9-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. प्रभारी अधिकारी, माघ मेला, इलाहाबाद।
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 को तीन-तीन प्रतियों में।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
7. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(बिहारी लाल काने)
अनु सचिव।